रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072023-247226
CG-DL-E-11072023-247226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2923] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2023/आषाढ़ 20, 1945
No. 2923] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2023/ASHADHA 20, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2023

का.आ. 3050(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा 'यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण', (पैनः-AAALT0341D), उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण, उस प्राधिकरण को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ख) भूमि, भवन और अन्य सम्पत्तियों, चल एवं अचल की बिक्री से प्राप्त धनराशि;

(ग) किराये एवं शुल्क के रुप में और भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों, चल एवं अचल से प्राप्त अन्य शुल्कों के रूप में प्राप्त धनराशि;

(घ) बैंकों में जमा धन पर अर्जित ब्याज की धनराशि; और

(ङ) विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियों के निर्धारितियों से प्राप्त भुगतान पर प्राप्त आस्थगित ब्याज/जुर्माने की धनराशि;

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,-

(क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2022-2023 के लिए लागू की गई मानी जाएगी ।

[अधिसूचना सं. 48 /2023/फा. सं. 300196/4/2014-आईटीए-I(भाग-1)]

विकास सिंह, निदेशक, आईटीए-I

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस अधिसूचना को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य [2023 की रिट याचिका (सिविल) सं. 5318], दिनांक 26 अप्रैल, 2023, और दिनांक 25 मई, 2023 को डिजिटल रुप से हस्ताक्षर की गई, के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-2019 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लिए भूतलक्षी प्रभाव दिया जाएगा। इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2023

S.O. 3050(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Yamuna Expressway Industrial Development Authority', (PAN AAALT0341D), an authority constituted by the State Government of Uttar Pradesh, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-

(a) Grants received from the State Government;

(b) Moneys received from the disposal of land, building and other properties, movable and immovable;

(c) Moneys received by the way of rent & fees or any other charges from the disposal of land, building and other properties, movable and immovable;

(d) The amount of interest earned on the funds deposited in the banks; and

(e) The amount of interest/penalties received on the deferred payment received from the Allottees of various movable or immovable properties.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Yamuna Expressway Industrial Development Authority,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2018-2019 to financial year 2022-2023.

[Notification No. 48 /2023/F. No. 300196/4/2014-ITA-I(Pt.-1)]

VIKAS SINGH, Director, ITA-I

Explanatory Memorandum

This notification shall be given retrospective effect for the financial year 2018-19 to financial year 2022-23 in view of the Order of the Hon'ble Delhi High Court in matter of Yamuna Expressway Industrial Development Authority V. Union of India and Others in [W.P. (Civil) No. 5318 of 2023], dated 26th of April, 2023 digitally signed on 25th of May, 2023. It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.11 21:07:33 +05'30'